हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बनाम एम./एस. निक्को कॉरपोरेशन लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 2008 का 5630)

20 मई, 2009

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा और डॉ. बी.एस. चौहान, जे. जे.]

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, *1996* की धारा *21 (1) (ई), 34* और *37 (1) (बी)*–माध्यस्थम् अधिनिर्णय–अधिनिर्णय को चुनौती देने वाली धारा *34* के अधीन याचिका–उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा विचारणीय नहीं मानी गई याचिका–धारा *37* के अधीन अपील भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा विचारणीय नहीं मानी गई–अभिनिर्धारित–याचिका और अपील विचारणीय नहीं थी– धारा *2(1)(ई)* के तहत परिकल्पित के अनुसार मामला सक्षम सिविल न्यायालय को भेज दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के तहत परिभाषित उपयुक्त अदालत के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी। धारा 37 के तहत उसके खिलाफ अपील को भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि न तो धारा 34 के तहत याचिका और न ही धारा 37 के तहत अपील विचारणीय थी।इसलिए वर्तमान अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित:1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन एक ऐसी अदालत के समक्ष दायर किया जाना है जो ऐसी आपत्ति पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सशक्त है और उसके पास अधिकार क्षेत्र है। 'न्यायालय' शब्द को अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के प्रावधान के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय, और इसमें उच्च न्यायालय अपने सामान्य

मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शामिल है, जिसे मध्यस्थता के विषय–वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है। अधिनियम की धारा 37 केवल तभी लागू होती है जब उसमें उल्लिखित पूर्व

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिएं है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए होगा।'

शर्तें पूरी हो जाती हैं। यह कहना सही नहीं है कि चूंकि एकल न्यायाधीश ने माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने से इनकार कर दिया है, इसलिए अपीलार्थी द्वारा धारा 37 (1) (ख) के तहत परिकल्पित अपील की जा सकती है, क्योंकि धारा 34 के तहत दायर याचिका याचिका की स्थिरता के आधार पर खारिज की गई थी, न कि मध्यस्थता अधिनिर्णय को अपास्त करने से इनकार करने के आधार पर। [पैरा 6] [582–सी बी–एच; 583–ए]

2. धारा 34 के तहत दायर मामला और याचिका सिविल अदालत को प्रेषित की जाती है, जो अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के तहत परिकल्पित सुनवाई और निर्णय लेने के लिए सक्षम है। मामला बहुत लंबे समय से लंबित है और एक अदालत से दूसरी अदालत में चला जाता है। इसलिए, जिस न्यायालय को मामला जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपा गया है, वह यथासंभव शीघ्रता से इसका निपटारा करने का पूरा प्रयास करेगा। [पैरा 6 और 7] [583–सी–ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2008 का 5630.

रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.1.2008 से एक मध्यस्थता अपील सं. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) के अधीन 2007 का 22.

अपीलार्थी के लिए डी. रॉय चौधरी, नंदिनी सेन (देब प्रसाद मुखर्जी के लिए)।

प्रत्यर्थी के लिए राहुल गुप्ता, पिंकाई अड्डी (चिरारंजन अड्डी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे. 1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वत मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा अपील को ग्रहण करने और दिनांक 4.1.2008 के अपने आदेश द्वारा उक्त अपील का निपटान करते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

इसमें अपीलार्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका दायर की थी, जिसमें एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 28.9.2006 को पारित किए गए अधिनिर्णय की वैधता को चुनौती दी गई थी और उसे अपास्त करने का अनुरोध किया गया था। विद्वत एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष याचिका दायर की गई थी, ने अभिनिर्धारित किया कि यह विचारणीय नहीं है। दायर अपील पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की अपील भी विचारणीय नहीं है।

2. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बधित प्रयोग के लिएं है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए होगा।'

3. अभिलेखों से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के अधीन एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने और निर्णय लेने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन पर विचार किया और न्यायमूर्ति पी. के. सरकार, जो पटना उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, को पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने और निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया। उक्त आदेश के अनुसरण में, विद्वान मध्यस्थ ने संदर्भ में प्रवेश किया और 28.9.2006 को पुरस्कार पारित किया। अधिनिर्णय पारित किए जाने के पश्चात्, इसमें अपीलार्थी ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका दायर की, जिसमें एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिनांक 28.9.2006 को पारित किए गए अधिनिर्णय को चुनौती दी गई थी। रजिस्ट्री ने अधिनियम की धारा 34 के तहत उपरोक्त याचिका की रखरखाव के बारे में आपत्ति दर्ज की। रजिस्ट्री के अनुसार, उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ, अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका उपयुक्त अदालत के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित किया गया है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई उपर्युक्त आपत्ति पर विचार किया और उक्त आपत्ति से सहमति व्यक्त की और अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर की गई उपरोक्त याचिका विचारणीय नहीं है।

4.उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान का आह्वान करते हुए एक अपील दायर की।

उक्त अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने विचार किया था। सुनवाई के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उक्त अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 34 के तहत उपरोक्त आवेदन या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। दूसरे शब्दों में, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान के तहत परिकल्पित एक उपयुक्त अदालत के समक्ष दायर किया जाना चाहिए था।

5. अपीलार्थी के वकील ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि चूंकि उपरोक्त अपील जो अपीलार्थी ने दायर की थी वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत एक अपील थी, इसलिए इसे एक खंड पीठ द्वारा विचार और निर्णय किया जाना चाहिए था, क्योंकि विद्वत एकल न्यायाधीश का आदेश चुनौती के अधीन था।

6. हम उपरोक्त विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के मद्देनजर और प्रकाश में प्रथम दृष्टया असमर्थनीय पाया गया है। धारा 34 के तहत उक्त आवेदन एक अदालत के समक्ष दायर किया जाना है जो अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर इस तरह की आपत्ति पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सशक्त है। 'न्यायालय' शब्द को अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बधित प्रयोग के लिएं है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए होगा।'

प्रावधान के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख नागरिक न्यायालय, और इसमें उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शामिल है, जिसे मध्यस्थता के विषय–वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है।अधिनियम की धारा 37, जिस पर अपीलार्थी के वकील द्वारा जोर दिया गया था, केवल तभी लागू होती है जब उसमें उल्लिखित पूर्व–शर्तें संतुष्ट हों। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वत वकील का निवेदन यह है कि चूंकि विद्वत एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करने से इनकार कर दिया है, इसलिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (बी) के तहत परिकल्पित अपीलार्थी द्वारा अपील की जा सकती है।हम पुनः माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन दायर याचिका के लिए अपीलार्थी की ओर से उपस्थित

होने वाले वकील के उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने के लिए अपने आप को राजी करने में असमर्थ हैं, जिसे याचिका की विचारणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया था न कि मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करने से इनकार करके। उपर्युक्त स्थिति का सामना करने के कारण, अपीलार्थी की ओर से पेश वकील कहता है कि वह कार्यवाही में देरी नहीं करना चाहेगा और बल्कि यह चाहेगा कि कार्यवाही में तेजी लाई जाए। उसके कथन और प्रार्थना के संदर्भ में और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वकील के प्रस्तुत किए जाने को ध्यान में रखते हुए, जिसने प्रस्तुत किया है कि मामले पर न्यायालय को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, हम मामले और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर याचिका को प्रेषित करते हैं, जो अपीलार्थी द्वारा दीवानी अदालत में दायर की गई थी, जो सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम थी जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के तहत परिकल्पित है।

7. अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अधीन दायर याचिका अब जिला न्यायाधीश, पूर्वी सिंहभूम के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी, जहां पक्षकार 29 मई, 2009 को उपस्थित होंगे, जब जिला न्यायाधीश अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) के उपबंधों के अनुसार धारा 34 के अधीन याचिका उपयुक्त न्यायालय को आबंटित करेगा। हम यह भी महसूस करते हैं कि मामला बहुत लंबे समय से लंबित है और एक अदालत से दूसरी अदालत में जा रहा है। इसलिए, जिस न्यायालय को मामला जिला न्यायाधीश द्वारा सौंपा गया है, वह रिकॉर्ड प्राप्त करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः यथासंभव शीघ्रता से इसका निपटान करने का पूरा प्रयास करेगा।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के आदेशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

9. हमें सूचित किया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका अब झारखंड उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में है। इस आदेश के संदर्भ में इसे तुरंत जिला न्यायाधीश को प्रेषित किया जाएगा।

10. अपील का निपटान तदनुसार किया जाता है।

11. इस आदेश की प्रति पक्षों को दस्ती दी जाए।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बधित प्रयोग के लिएं है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए होगा।'

के. के. टी. अपील का निपटारा किया गया।

SAROJ GIRI

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बधित प्रयोग के लिएं है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए होगा।'